राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः– प–5(3) आ.कृ/कृसू/स.नि./2017–18/1515–1798 दिनांक 22/5/17

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् (समस्त)
संयुक्त निदेशक, कृषि (विस्तार) खण्ड (समस्त)
परियोजना निदेशक, कृषि (विस्तार) सी.ए.डी. कोटा
उपनिदेशक कृषि (विस्तार) आईजीएनपी बीकानेर
उपनिदेशक कृषि विस्तार जि. प. (समस्त)
उपनिदेशक (उद्यान) समस्त
परियोजना निदेशक आत्मा (समस्त)
सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) (समस्त)
सहायक निदेशक उद्यान (समस्त)

विषयः–कृषि सूचना गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश वर्ष 2017–18 बाबत्।

कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों, उन्नत कृषि तकनीकी, नवाचार आदि के प्रचार–प्रसार हेतु आकाशवाणी, दूरदर्शन, प्रिंट मीडिया व अन्य संचार विधाओं का उपयोग किया जाना आवश्यक है। इन विधाओं का प्रभावी उपयोग कृषि गतिविधियों के प्रचार–प्रसार में करने के लिए विस्तृत दिशा–निर्देश संलग्न कर भिजवाये जा रहे हैं। कृपया विभिन्न विधाओं का उपयोग करते हुए सृजनात्मक ढंग से सरल, रोचक एवं प्रभावशाली रुप में किसानों तक जानकारी पहुँचाकर जनसंचार माध्यमों का कुशलतम उपयोग सुनिश्चित कराएं।

(विकास सीतारामजी भाले)
आयुक्त, कृषि

क्रमांकः– प–5(3) आ.कृ/कृसू/स.नि./2017–18/1515–1798 दिनांक 22/5/17

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ठ सहायक, मा0 कृषि मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव कृषि, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त कृषि, राजस्थान जयपुर
4. सम्भागीय आयुक्त (समस्त)
5. जिला कलक्टर (समस्त)
6. वित्तीय सलाहाकार कृषि निदेशालय राजस्थान जयपुर
7. अपर निदेशक, कृषि (विस्तार/आदान/अनुसंधान/एनएमओओपी/समन्वयक) कृषि निदेशालय राजस्थान जयपुर।
8. निदेशक, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, दुर्गापुरा, राज., जयपुर।
9. निदेशक समेती (आत्मा), चतुर्थ तल अकादमिक भवन, राज्य प्रबंधन संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर।
10. संयुक्त निदेशक, कृषि (प्रशासन/योजना/पौध संरक्षण/रसायन/एटीसी/आदान/फसल/बीमा/सांख्यिकी/एनएमओओपी/प्रबोधन एवं मूल्यांकन/जल उपयोग प्रकोष्ठ/गुण नियंत्रण/RKVY) राज0, जयपुर।
11. उपनिदेशक, कृषि (प्रशासन/बीज/विस्तार/अभियांत्रिकी/रसायन/कम्प्यूटर) मु0, जयपुर।

आयुक्त, कृषि

कृषि सूचना : दिशा निर्देश (2017–18)

कृषकों में उन्नत तकनीक का प्रचार–प्रसार, नवाचारों के प्रति जागरूकता तथा सफल कृषकों के अनुभवों का आदान–प्रदान करने के लिए आकाशवाणी, दूरदर्शन, समाचार पत्रों व अन्य संचार विधाओं एवं उपकरणों का उपयोग किया जाना आवश्यक है। इनमें से कुछ गतिविधियाँ पंचायतीराज के अधीन कृषि कार्यालयों द्वारा सीधे तथा कुछ कृषि विभाग द्वारा पंचायतीराज के समन्वय से क्रियान्वित की जानी है। इनके प्रभावी व सफल क्रियान्वयन हेतु गतिविधिवार दिशा–निर्देश निम्नानुसार प्रसारित किये जाते हैं:–

गतिविधि / कार्यक्रम	नोडल अधिकारी
1– **आकाशवाणी से "खेती री बातां" –** ● आकाशवाणी केन्द्र, जयपुर से इस कार्यक्रम का प्रसारण राज्य के सभी 16 आकाशवाणी केन्द्रों से वित्तीय वर्ष 2017–18 में जारी रखा गया है। कार्यक्रम का प्रसारण प्रतिदिन सायं 7.45 से 8.15 तक किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में कृषि विशेषज्ञ भाग लेते हैं तथा कृषकों को उपयोगी जानकारी सामयिक रूप से देते हैं। ● इस कार्यक्रम में सोमवार को सप्ताह के कृषि कार्यों की जानकारी कृषकों को दी जाती है। मंगलवार, गुरूवार एवं शनिवार को फोन–इन कार्यक्रम के माध्यम से कृषकों द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उत्तर विशेषज्ञों द्वारा दिया जाता है। बुधवार को कृषि, उद्यान, पशुपालन, कृषि विपणन आदि से संबंधित विषयों पर समसामयिक जानकारी दी जाती है। शुक्रवार को राज्य में स्थित अन्य आकाशवाणी केन्दों का अंशदान तथा रविवार को ओ.बी. रिकॉर्डिंग आधारित कृषि संस्थानों की गतिविधियों एवं सफल किसानों से भेंटवार्ताये / कार्यक्रम प्रसारित किये जाते है। ● फोन–इन कार्यक्रम के लिए आकाशवाणी जयपुर के दूरभाष नं0 0141–2200600, 0141–2200700, 0141–2200800 हैं। ● कार्यक्रम के प्रभावी कियान्वयन हेतु क्षेत्रीय अधिकारी व कृषक अपने सुझाव एवं उनके क्षेत्र के नवाचार कार्यक्रमों की जानकारी उप निदेशक कृषि(सूचना) को भेजकर कार्यक्रम में शामिल करवा सकते हैं। ● इस कार्यक्रम का अधिकाधिक प्रचार प्रसार कर कृषकों को इसमें भाग लेने के लिए प्रेरित किया जावे। ● इस गतिविधि का व्यय राज्य स्तर पर आयोजन बजट मद से किया जायेगा।	उप निदेशक कृषि (सूचना) / समस्त उप निदेशक कृषि (विस्तार) जि. प.
2– **दूरदर्शन से "खेती–बाड़ी" कार्यक्रम** : कृषकों को कृषि विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभागीय योजनाओं / कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध कराने, कृषि सम्बन्धी समस्याओं का समाधान विशेषज्ञों के द्वारा उपलब्ध कराने, सफल व नवाचारी कृषकों की सफलता की कहानियों के प्रचार–प्रसार के लिये विभाग द्वारा स्वयं निर्मित आधे घन्टे का कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम "खेती–बाड़ी" का प्रसारण प्रत्येक गुरूवार को सायं 7.30 बजे दूरदर्शन के माध्यम से किया जाता है। यह कार्यक्रम में "खेती–बाड़ी–2" के नाम से प्रसारित किया जाता है। इसमें योजनाओं की जानकारी, विशेषज्ञों से चर्चा, समस्या–समाधान, उलझन–सुलझन, पखवाड़े के काम, संदेश, सफलता की कहानियाँ, नवाचार, लघुफिल्म, क्लीपिंग्स आदि का समावेश कर कार्यक्रम को सरल व रोचक बनाया जाता है। वर्ष 2017–18 में इस कार्यक्रम का समस्त व्यय निदेशालय स्तर से आयोजना प्रतिबद्ध बजट मद से किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में आयोजना मद से भी किया जा सकता है। इस कार्यक्रम	समस्त खण्डीय संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार), समस्त उप निदेशक (विस्तार) जि.प.

को और अधिक प्रभावी और कृषकोपयोगी बनाने हेतु क्षेत्र में किये गये उत्कृष्ट कार्य–कलापों एवं उपलब्धियों का विवरण, सफलता की कहानियों, सफल प्रदर्शनों, नवाचारों एवं कृषक समूह द्वारा ग्रेडिंग पैकिंग आदि का विवरण ''खेती–बाड़ी''–2 कार्यक्रम में समावेश हेतु उप निदेशक कृषि(सूचना) को समय पर भिजवाएं। ● कृषि विभाग द्वारा करवाये गये उत्कृष्ट कार्यों, आत्मा एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत पुरस्कृत कृषको, विशेषज्ञ कृषकों एवं कृषक विशेष/क्षेत्र विशेष द्वारा किये कार्यो की शूटिंग योग्य गतिविधियों की सूचना के साथ कृषक के पूर्ण पते, दूरभाष नम्बर एवं शूटिंग किये जाने के माह आदि की सूचना के साथ उपनिदेशक कृषि सूचना को समय–समय पर भिजवायें ताकि सफलता की कहानी तैयार कर ''खेती बाड़ी''–2 कार्यक्रम मे प्रसारित की जा सके।	
3– **प्रिंट मीडिया का उपयोग** –राज्य के सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा अनुमोदित प्रमुख समाचार पत्रों, पत्रिकाओं के माध्यम से कृषि की उन्नत तकनीक एवं किसानों के लाभार्थ चलाई जा रही योजनाओं का प्रचार–प्रसार किया जाएगा। इस कार्य हेतु नोडल अधिकारी उप निदेशक, कृषि (सूचना) होंगे।	उप निदेशक कृषि (सूचना)
4– **किसानों के लिए कृषक मित्रवत् साहित्य प्रकाशन :** ● वर्तमान में निदेशालय स्तर पर साहित्य मुद्रण हेतु दर संविदा अनुबंध नहीं होने के कारण खरीफ एवं रबी की खण्डवार ''पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेज'' (पी. ओ.पी) पुस्तिकाओं का मुद्रण खण्डीय संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा नियम, 2013 व सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के तहत कराया जाये। सभी खण्ड प्रभारी निर्धारित संख्या में पीओपी पुस्तिकाएं व सी.डी. (सॉफ्ट कॉपी) समय पर सूचना शाखा को भिजवायेंगे। इसके लिये सभी खण्ड कार्यालयों को ''आयोजना प्रतिबद्ध मद'' में 50–50 हजार रू0 का बजट आवंटन किया जायेगा। कृपया आवंटित बजट सीमा में ही व्यय किया जाना सुनिश्चित करें।	उपनिदेशक कृषि (सूचना), समस्त संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार), समस्त उप निदेशक कृषि (विस्तार) जि. प.
● आत्मा योजनान्तर्गत जिला स्तर पर साहित्य/लो कोस्ट पब्लिकेशन हेतु आवंटित राशि से साहित्य का मुद्रण संबंधित परियोजना निदेशक, (आत्मा) द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा नियम 2013 के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए करवाया जाये। उक्तानुसार तैयार साहित्य, कृषि प्रदर्शनी एवं मेलों, फार्म स्कूल, कृषक गौष्ठियों आदि में कृषकों को वितरित किया जायेगा।	परियोजना निदेशक/निदेशक समेती आत्मा (समस्त)
● कृषि निदेशालय, खण्ड एवं जिला स्तर से उन्नत कृषि तकनीक, कृषि योजनाओं के प्रचार–प्रसार हेतु आवश्यकतानुसार कृषक मित्रवत् साहित्य जैसे फोल्डर, पेम्फलेट, पोस्टर्स, पुस्तकें आदि का मुद्रण, वर्तमान में निदेशालय स्तर पर साहित्य मुद्रण हेतु दर संविदा अनुबंध नहीं होने के कारण, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा नियम, 2013 व सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के तहत कराया जायेगा।	उपनिदेशक कृषि (सूचना), समस्त संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार), समस्त उप निदेशक कृषि (विस्तार) जि. प.
● कृषि निदेशालय स्तर से समय–समय पर आवश्यकतानुसार राज्य के समस्त जिलों के लिए उपयोगी कृषि साहित्य जैसे पैम्फलेट, फोल्डर, पोस्टर, पुस्तकें आदि प्रकाशित कर भिजवाये जायेंगे। मुद्रण संबंधित समस्त कार्यवाही उप निदेशक, कृषि (सूचना) द्वारा करवाई जायेगी। ● मुद्रित साहित्य का वितरण राज्य के कृषकों को निःशुल्क किया जायेगा।	